हिंदी शिक्षण प्रोत्साहन योजना

1.0 शीर्षक:

इस योजना को **'हिंदी शिक्षण प्रोत्साहन योजना'** कहा जाएगा।

2.0 उद्देश्य:

2.1 इस योजना का उद्देश्य निगम के उन कार्मिकों को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।

2.2 भारत सरकार द्वारा हिंदी शिक्षण के संबंध में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करना है।

3.0 व्याप्ति:

यह योजना एनएचडीसी लिमिटेड के सभी वर्तमान व भावी पावर स्टेशनों/ परियोजनाओं/संपर्क कार्यालयों सहित निगम मुख्यालय के उन हिंदीतर भाषी सभी नियमित कार्मिकों (अकुशल कर्मचारियों को छोड़कर) पर लागू होगी, जिन्हें भारत सरकार के नियमानुसार हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान कराया जाना अपेक्षित है।

4.0 **पात्रता :**

4.1 इस योजना में वे सभी हिंदीतर भाषी कार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार पाने के पात्र होंगे, जो निर्धारित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षा (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ) प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करेंगे।

4.1.1 प्रथम प्रयास से अभिप्राय है कि यदि कोई कार्मिक परीक्षा फार्म भरने के बाद सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण माना जाएगा। किंतु यदि कोई कार्मिक परीक्षा फार्म भरने के बाद उस सत्र के अंत में आयोजित निर्दिष्ट परीक्षा में शामिल नहीं होता या अनुत्तीर्ण हो जाता है और उसके बाद अगले सत्र में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसे प्रथम प्रयास में परीक्षा पास करना नहीं माना जाएगा।

4.1.2 यदि कोई कार्मिक अत्यावश्यक आपवादिक स्थिति में कार्यालयीन कार्यों की वजह से परीक्षा फार्म भरने के बाद सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में कार्मिक को केवल तभी प्रोत्साहन पुरस्कार का पात्र माना जाएगा जब वह उससे अगले सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल हो और परीक्षा उत्तीर्ण करे। ऐसे आपवादिक मामलों में पात्रता के लिए कार्मिक को अपने दावे के साथ संबंधित निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करके दावे के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.2 इस योजना में निम्नांकित कार्मिक प्रोत्साहन पाने के पात्र नहीं होंगे: -

421 जिनकी मातृभाषा हिंदी है।

4.2.2 जिन्होंने हिंदी की प्राथमिक (कक्षा-5) स्तर/मिडिल (कक्षा आठवी) स्तर/हाईस्कूल (मैट्रिक या समकक्ष या उससे उच्चतर) स्तर की परीक्षा हिंदी विषय या हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है, वे क्रमशः प्रबोध, प्रवीण, व प्राज्ञ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

4.2.3 यदि किसी कार्मिक ने यह घोषणा की है कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान/हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

5.0 कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतिम निर्धारित परीक्षा: -

5.1 संबंधित कार्मिक को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत चलाई जा रही प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं या भारत सरकार द्वारा निर्धारित समतुल्य परीक्षाएं निम्नानुसार उत्तीर्ण करनी होंगी:-

5.1.1 जिन कार्मिकों के लिए विहित शिक्षा का स्तर मैट्रिकुलेशन या उससे कम है और जिन्हें कार्यालयीन लेखन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है (जैसे स्टाफ-कार ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, ऑपरेटर, ट्रेसर, कंपाउंडर आदि) उन्हें प्रबोध या समतुल्य स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तभी उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा और वे तदनुसार प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे।

5.1.2 जिन कार्मिकों को सामान्यतः ज्यादा लेखन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार आदि कार्य करने के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक आदि उन्हें प्रवीण या समतुल्य स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

5.1.3 जिन कार्मिकों को कार्यालयीन लेखन कार्य करना, टिप्पणियाँ लिखना या पत्र व्यवहार करना पड़ता है, जैसे सहायक/टाइपिस्ट, कार्यालय अधीक्षक और उच्च स्तर के अधिकारी, उन्हें प्राज्ञ या समतुल्य स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

6.0 **प्रोत्साहन एवं सुविधाएं: -**

6.1 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जाएगी।

6.2 पाठ्य पुस्तकों व पाठ्य सामग्री आदि की व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी तथा इस पर होने वाला खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

6.3 परीक्षा में शामिल होने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता निगम द्वारा दिया जाएगा।

6.4 परीक्षा के वास्तविक दिनों के लिए कार्मिक को विशेष अवकाश की मंजूरी देते हुए उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा।

6.5 संबंधित कार्मिक के सेवा रिकार्ड में इस आशय की प्रविष्टि की जाएगी।

7.0 **पुरस्कार:-**

पात्र कार्मिकों को निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर निम्नानुसार नकद पुरस्कार/ वैयक्तिक वेतन/एकमुश्त पुरस्कारों की मंजूरी प्रदान की जाएगी:

7.1 **नकद पुरस्कार: -**

7.1.1 संबंधित कार्मिक को निर्धारित परीक्षा पास करने पर प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:

परीक्षा का स्तर	70% और अधिक	60% और अधिक किन्तु 70% से कम	60% से कम, किन्तु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
प्राज्ञ (या समतुल्य)	2400 रु.	1600 रु.	800 रु.
प्रवीण (या समतुल्य)	1800 रु.	1200 रु.	600 रु.
प्रबोध (या समतुल्य)	1600 रु.	800 रु.	400 रु.

7.2 **वैयक्तिक वेतन:-**

7.2.1 निर्धारित हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर कार्मिकों को मद संख्या 04 में उल्लिखित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाएगा।

(क) प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं कार्मिकों को दिया जाएगा जिनके लिए प्राज्ञ पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम अंतिम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं कार्मिकों के लिए मंजूर किया जाएगा जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है तथा

(i) अकार्यपालक कार्मिकों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास करने पर

(ii) कार्यपालकों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास करने पर उक्त वैयक्तिक वेतन देय होगा।

(ग) प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अकार्यपालक कार्मिकों को दिया जाएगा, जिनके लिए प्रबोध पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लेकर पास करते हैं।

7.3 एकमुश्त पुरस्कार

यदि कोई कार्मिक निगम की किसी ऐसी परियोजना/यूनिट में पदस्थापित है जहाँ पर हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वह निर्धारित हिंदी की परीक्षा अपने प्रयासों से हिंदी सीख कर उत्तीर्ण करता है तो वह निम्नानुसार एकमुश्त पुरस्कार का पात्र होगा। वह कार्मिक जो हिंदी की परीक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से उत्तीर्ण करता है, वह भी एकमुश्त पुरस्कार का पात्र होगा।

हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा- 600 रु.
हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा- 1500 रु.
हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा- 2400 रु.

8.0 टिप्पणी:

8.1 जो कार्मिक अपने प्रयासों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करता है, वह यदि निर्धारित प्रतिशत से 5 प्रतिशत कम अंक प्राप्त करता है तो भी वह उपर्युक्त लाभ का पात्र होगा।

8.2 वैयक्तिक वेतन की मंजूरी के संबंध में परीक्षाफल घोषित होने के बाद तीन महीने की अवधि के अंदर संबंधित पात्र कार्मिकों को वेतन वृद्धि की मंजूरी हेतु कार्रवाई की जाएगी।

8.3 वैयक्तिक वेतन नकद पुरस्कार के अतिरिक्त दिया जाएगा।

(क) कार्मिक को उस पद का वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा, जिस पद पर वह परीक्षाफल घोषित होने की तारीख को था।

(ख) किसी अकार्यपालक पद से कार्यपालक पद या एक कार्यपालक पद से दूसरे कार्यपालक पद पर पदोन्नति होने पर संबद्ध कार्मिक बाकी बची अवधि के लिए पदोन्नति से पूर्व की दर पर ही वैयक्तिक वेतन पाता रहेगा।

(ग) वैयक्तिक वेतन स्वीकृत अवधि के लिए ही देय होगा तथा समयावधि समाप्त होने पर स्वतः बंद हो जाएगा। वैयक्तिक वेतन का कर्मचारी की वरिष्ठता या पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा वैयक्तिक वेतन पर कोई भी अन्य भत्ता या लाभ नहीं दिया जाएगा।

9.0 योजना का प्रबंधन:

9.1 इस योजना का संचालन निगम मुख्यालय में राजभाषा अनुभाग तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/कार्यालयों आदि में वहां के राजभाषा अनुभाग/मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

9.2 राजभाषा विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम की सूचना संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित कार्मिकों को दी जाएगी।

9.3 संबंधित कार्मिक उक्त पुरस्कारों के लिए परीक्षा परिणाम की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के अंदर अपना दावा निर्धारित प्रपत्र में अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कार्यालय के राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करेगा।

9.4 राजभाषा अनुभाग उक्त दावों के सत्यापन की जांच के बाद नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु मानव संसाधन विभाग को अपनी सिफारिशें भेजेगा।

9.5 पुरस्कार राशि का भुगतान निगम मुख्यालय में राजभाषा विभागाध्यक्ष व परियोजना/पावर स्टेशन/कार्यालय में संबंधित कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन से किया जाएगा।

9.6 उक्त नकद पुरस्कार व वैयक्तिक वेतन के भुगतान के संबंध में मानव संसाधन विभाग नियमानुसार कार्यालय आदेश जारी करेगा।

10.0 **सामान्य :**

10.1 निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है अथवा योजना के किसी भी प्रावधान से छूट भी दे सकता है।

10.2 यह योजना 01 अप्रैल 2013 से लागू होगी।

नकद पुरस्कार/वैयक्तिक वेतन हेतु आवेदन प्रपत्र

हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद पुरस्कार/वैयक्तिक वेतन हेतु आवेदन

1 पूरा नाम (साफ अक्षरों में) :

2 पदनाम :

3 कर्मचारी संख्या :

4 विभाग :

5 वेतनमान एवं मूल वेतन

6 निर्धारित पाठ्यक्रम जहां तक आपको हिंदी पढ़ना आवश्यक है :

7 मातृभाषा :

8 उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम :

9 परीक्षा की तारीख/तारीखें :

10 परिणाम घोषित होने की तारीख :

11 प्राप्त अंक :

12 प्राप्त अंकों का प्रतिशत :

13 उपर्युक्त परीक्षा कैसे प्राप्त की\ :

क) निजी अध्ययन से

ख) संगठन में की गई आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से :

ग) हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कक्षाओं में पढ़कर :

घ) उपर्युक्त पाठ्यक्रम हेतु आपने हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कब प्रशिक्षण प्राप्त किया\ (यदि आपने पहले भी कभी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण दें) :

14 इस परीक्षा के अतिरिक्त क्या आप हिंदी शिक्षण योजना की कोई अन्य परीक्षा पास कर चुके हैं यदि हां तो उसका ब्यौरा दें। यदि आप कोई प्रोत्साहन योजना भी प्राप्त कर चुके हैं तो उसके बारे में भी बताएं :

15 उपर्युक्त परीक्षा में क्या कभी पहले भी बैठे थे\ यदि हां, तो कब-कब और क्या परिणाम था :

16 परीक्षा फार्म भरने की तारीख :

17 क्या आपने यह परीक्षा प्रथम प्रयास में पास की है\ :

18 क्या आपने :-

क) किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/गैर सरकारी निकाय आदि द्वारा संचालित मैट्रिक, उसके समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा (किसी भी रूप में) हिंदी विषय लेकर या उच्च माध्यमिक परीक्षा के भाग के रूप में (जैसे कक्षा 9 या 10 में) हिंदी विषय लेकर पास की है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें और संबंधित परीक्षा में हिंदी विषय के प्राप्तांकों का प्रतिशत बताएं :

ख) क्या आपकी उपर्युक्त (किसी भी) परीक्षा का माध्यम हिंदी था\ यदि हां, तो ब्यौरा दें। :

ग) क्या आपने-हिंदी विषय के साथ प्राइमरी अथवा मिडिल परीक्षा पास की है \ :

घ) क्या आपने सरकारी/गैर सरकारी किसी भी संस्था की कोई हिंदी परीक्षा पास की है, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें। :

19 निगम में लागू प्रोत्साहन योजनाओं के अनुसार किस प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए दावा किया है। :

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त ब्यौरा सही है। यदि उपर्युक्त ब्यौरा गलत या असत्य पाया गया तो मैं वैयक्तिक वेतन प्राप्त करने पर उसे लौटाने का वचन देता/देती हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि तथ्यों का गलत विवरण देकर वैयक्तिक वेतन प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए मेरे विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर